छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (एस) क्रमांक 5231/2008

याचिकाकर्ता: जगतनारायण त्रिपाठी

-बनाम-

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

आदेश हेतु दिनांक 24-11-2008 को सूचीबद्ध

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश
24-11-2008

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (एस) क्रमांक 5231/2008

याचिकाकर्ता:

जगतनारायण त्रिपाठी, पिता स्वर्गीय श्री केदारनाथ त्रिपाठी, आयु लगभग 75 वर्ष, सेवानिवृत्त सहायक उप-निरीक्षक, निवासी ग्राम पश्चिम शरीरा, परगना अथरबन, तहसील मझनपुर, जनपद कौशाम्बी, जिला कौशाम्बी (उ.प्र.)

-बनाम-

उत्तरवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, गृह विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
2. पुलिस अधीक्षक, जिला बिलासपुर, बिलासपुर (छ.ग.)
3. पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर (छ.ग.)

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका)

उपस्थित:

श्री चंद्रेश श्रीवास्तव, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

श्री यशवंत सिंह ठाकुर, उप महाधिवक्ता, उत्तरवादीगण की ओर से

आदेश

(दिनांक 24 नवम्बर 2008 को पारित)

धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीश

1. यह याचिका, अनुलग्नक-पी/1 में पारित आदेश दिनांक 22 मई, 2000 के विरुद्ध है, जिसके द्वारा पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर ने, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'नियम, 1976' कहा गया है) के नियम 8(1)(ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, याचिकाकर्ता को प्रत्याशित पेंशन का भुगतान करना बंद कर दिया है।
2. निर्विवादित तथ्य यह है कि जब याचिकाकर्ता सहायक उप-निरीक्षक के पद पर चौकी बेलगहना, थाना कोटा में पदस्थ था, तब उसे विशेष प्रकरण क्रमांक 3/87 में पारित निर्णय दिनांक 15-2-1994 के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(1) एवं 5(2) के अंतर्गत आरोप-पत्रित,

दोषसिद्ध एवं दण्डादिष्ट किया गया। उसकी दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है तथा अनुलग्नक-पी/2 के द्वारा मूल कारावास का दण्डादेश निलंबित कर दिया गया है। याचिकाकर्ता अपने निलंबन की अवधि के दौरान दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 को सेवानिवृत्त हुआ तथा राज्य सरकार ने उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् प्रत्याशित पेंशन नियत की। किन्तु, आक्षेपित आदेश द्वारा प्रत्याशित पेंशन का भुगतान वर्तमान में अग्रिम आदेश तक के लिए रोक दिया गया है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चंद्रेश श्रीवास्तव ने यह निवेदन किया कि याचिकाकर्ता की पेंशन को नियम, 1976 के नियम 8(1)(ख) के तहत विधारित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि पूर्वोक्त प्रावधान को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब पेंशनभोगी कर्मचारी भविष्य में किसी कदाचार में लिप्त होता है। वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता की प्रत्याशित पेंशन उसकी दोषसिद्धि के पश्चात् नियत की गई थी। उसे दिनांक 15-2-1994 को दोषसिद्ध किया गया था जबकि उसकी पेंशन दिनांक 31-12-1994 को सेवा से निवृत्त होने के बाद नियत की गई थी। वह दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश के विरुद्ध पहले ही अपील प्रस्तुत कर चुका है और उसके कारावास दण्डादेश को अपीलीय न्यायालय द्वारा पहले ही निलंबित किया जा चुका है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी निवेदन किया कि किसी भी स्थिति में याचिकाकर्ता नियम, 1976 के नियम 8(1)(ख) के द्वितीय परंतुक के अनुसार न्यूनतम पेंशन के भुगतान का हकदार था और पेंशन की संपूर्ण राशि को विधारित नहीं किया जा सकता था।

4. दूसरी ओर, उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री यशवंत सिंह ठाकुर ने निवेदन किया कि चूंकि याचिकाकर्ता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं दण्डादिष्ट किया गया था, इसलिये उसे केवल प्रत्याशित पेंशन का भुगतान किया जा रहा था। सक्षम प्राधिकारी ने नियम, 1976 के नियम 8(1)(ख) के प्रावधानों के अनुसार पेंशन का भुगतान विधारित किया है। उसकी अपील पर केवल मूल कारावास दण्डादेश का निष्पादन निलंबित किया गया है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

6. इस याचिका में अंतर्ग्रस्त संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या उत्तरवादीगण, नियम 1976 के नियम 8(1)(ख) के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता को पेंशन के भुगतान को विधारित कर सकते थे? नियम 8 निम्नानुसार पुनरुत्पादित है:-

> **“8.भावी सदाचरण के आधार पर पेंशन -** (1) (क) इन नियमों मे पेंशन की प्रत्येक स्वीकृति और उसे चालू रखने के लिये भावी सदाचरण की अन्तर्हित मान्य शर्त होगी ।
>
> (ख) यदि कोई पेंशनर किसी गम्भीर अपराध में सिद्धदोष ठहराया जाय अथवा किसी गंभीर दुराचरण का दोषी पाया जाता है तो पेंशन स्वीकृतकर्त्ता प्राधिकारी, स्थायी रूप से अथवा किसी निश्चित अवधि के लिए, लिखित आदेश द्वारा पेंशन अथवा उसके किसी अंश को रोक सकता है अथवा वापस ले सकता है:

परन्तु पेंशनर के सेवानिवृत्ति के समय, उसके सेवा से सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर नियुक्ति करने के लिये सक्षम प्राधिकारी के किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा :

परन्तु आगे यह और भी कि जहां पेंशन का कोई अंश रोका अथवा वापस लिया जाता है, तो पेंशन की ऐसी धनराशि न्यूनतम पेंशन जैसी कि समय –समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जावे, से कम नहीं होगी।

(2) जहां पेंशनर किसी गम्भीर अपराध के कारण किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया जाता है तो इस प्रकार की दोषसिद्धि के सम्बन्ध में न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में उप नियम (1) खण्ड (ख) के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

(3) उप नियम (2) के अधीन नहीं आने वाले मामले में, उप नियम (1) में सन्दर्भित प्राधिकारी यदि यह समझता है कि पेंशन किसी गम्भीर दुराचरण का प्रथम दृष्टया दोषी है, तो उप नियम (1) अन्तर्गत कोई आदेश पारित करने के पूर्व वह—

(क) पेंशनर को उसके विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही और जिस आधार पर वह कार्यवाही प्रस्तावित है का नोटिस देकर वह शासकीय सेवक से अपेक्षा करेगा कि प्रस्ताव के विरूद्ध वह जो भी अभ्यावेदन देना चाहे, सूचना-पत्र की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के अन्दर अथवा पेंशन स्वीकृतकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञेय और आगामी पन्द्रह दिन से अनधिक समय के भीतर प्रस्तुत करे; और

(ख) खण्ड (क) के अन्तर्गत पेंशनर द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा ।

(4) जहां उप नियम (1) के अन्तर्गत आदेश पारित करने वाला सक्षम प्राधिकारी राज्यपाल है, तो आदेश पारित करने के पूर्व राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जावेगा ।

(5) राज्यपाल के अतिरिक्त किसी भी प्राधिकारी द्वारा उप नियम (1) के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध अपील राज्यपाल को प्रस्तुत की जावेगी और अपील पर राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से, राज्यपाल ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे ।

स्पष्टीकरण - इस नियम में, –

(क) “गम्भीर अपराध” अभिव्यक्ति में शासकीय गुप्तबात अधिनियम , 1923 (1923 का क्रमांक 19) के अधीन किये गये अपराध के अन्तर्गत आपराधिक कार्य सम्मिलित हैं;

(ख) “गम्भीर दुराचरण” अभिव्यक्ति में, शासन के अधीन रहते हुये, जैसा कि शासकीय गुप्तबात अधिनियम की धारा 5 में उल्लेखित, है किसी गोपनीय कार्यालयीन संकेत शब्द लिपि की संसूचना अथवा प्रकटीकरण अथवा शब्द अथवा नक्शा योजना मॉडल, वस्तु, टिप्पणी, दस्तावेज, सूचना हस्तान्तरित करना, जो कि सर्वसाधारण जनता के हितों अथवा देश की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, सम्मिलित हैं ।”

7. 31 दिसंबर, 1994 को याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के पश्चात् उसे लगातार अग्रिम पेंशन का भुगतान किया जा रहा था। तथापि, आक्षेपित आदेश द्वारा पेंशन का भुगतान इस आधार पर रोक दिया गया है कि याचिकाकर्ता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया था।

8. नियम 8 के अवलोकन मात्र से यह प्रकट रूप से स्पष्ट है कि भविष्य का सदाचरण, पेंशन की मंजूरी और उसे जारी रखने के लिए एक विवक्षित शर्त है; मंजूरी प्राधिकारी, पेंशन या उसके किसी भाग को स्थायी रूप से या एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधारित करने या वापस लेने के लिए सक्षम है, यदि कर्मचारी किसी गंभीर अपराध के लिए दोषसिद्ध होता है या गंभीर कदाचार का दोषी है; पेंशन को सरकार द्वारा समय-समय पर नियत न्यूनतम पेंशन से कम नहीं किया जा सकता; जहाँ ऐसी दोषसिद्धि से संबंधित न्यायालय के निर्णय में कोई निर्देश नहीं है, वहाँ मंजूरी प्राधिकारी पर यह कर्तव्य अधिरोपित है कि वह सेवानिवृत्त कर्मचारी को कारण बताओ सूचना जारी करे जिसमें उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई तथा उसके आधारों का उल्लेख हो, और आदेश उसके उत्तर/अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ही पारित किया जाएगा।

9. इस प्रकार, उपरोक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से और असंदिग्ध रूप से यह उपबंध करता है कि (1) एक बार कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात् उसकी पेंशन नियत हो जाने पर, उसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित न्यूनतम पेंशन से कम नहीं किया जा सकता, और (2) जहाँ पेंशन का प्रत्याहरण/विधारण किसी गंभीर अपराध में दोषसिद्धि या गंभीर कदाचार के कारण है, तो यह दोषसिद्धि के निर्णय में दिए गए निर्देश के अनुसार किया जाएगा और जहाँ ऐसा कोई निर्देश नहीं है, वहाँ पेंशन केवल सेवानिवृत्त कर्मचारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ही विधारित या वापस ली जा सकती है।

10. वर्तमान मामले में, यह निर्विवाद है कि 31 दिसंबर, 1994 को याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के पश्चात् अग्रिम पेंशन नियत की गई थी और याचिकाकर्ता अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व दोषसिद्ध हुआ था। आक्षेपित आदेश उसकी सेवानिवृत्ति के 6 वर्ष पश्चात् पारित किया गया था और उपरोक्त आदेश, याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किए बिना पारित किया गया है, जैसा कि नियम, 1976 के नियम 8 के उप-नियम (3) के खंड (क) के तहत परिकल्पित है।

11. **पंजाब राज्य बनाम के. आर. एरी एवं अन्य**[1] के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पंजाब पेंशन नियम के नियम 6.4 पर विचार करते हुए, जो मंजूरी प्राधिकारी को पेंशन राशि में कमी करने के लिए सशक्त करता है, यदि सेवा पूर्णतः संतोषजनक नहीं रही है, यह अभिनिर्धारित किया है कि राज्य सरकार को संबंधित अधिकारी को उसकी अधिवार्षिकी पर विधिक रूप से देय पेंशन और उपदान की राशि में प्रस्तावित कमी के विरुद्ध कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवसर अवश्य देना चाहिए।

12. वर्तमान मामले में, अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह स्थापित हो सके कि याचिकाकर्ता को मंजूर की गई अग्रिम पेंशन, जिसे बाद में आक्षेपित आदेश द्वारा अगले आदेश तक के लिए विधारित कर लिया गया था, याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् पारित की गई थी। याचिकाकर्ता को न्यूनतम

---

[1] ए.आई.आर 1973 सुप्रीम कोर्ट 834

पेंशन का भी भुगतान नहीं किया गया था, जिसके लिए वह नियम, 1976 के नियम 8 के अनुसार वर्ष 2000 से हकदार था।

13. यह एक स्थापित विधि भी है कि पेंशन और उपदान अब सरकार द्वारा वितरित की जाने वाली कोई अनुग्रह राशि नहीं हैं, बल्कि उनके हाथों में अर्जित बहुमूल्य अधिकार और संपत्ति हैं और इनके निराकरण किया और संवितरण में किसी भी विलंब को गंभीरता से देखा जाना चाहिए और ब्याज के भुगतान के रूप में शास्ति अधिरोपित करके कठोरता से निपटा जाना चाहिए। {केरल राज्य बनाम एम. पद्मनाभन नायर, (1985) 1 एससीसी 429; आर. कपूर बनाम निदेशक निरीक्षण (मुद्रण एवं प्रकाशन) आई.टी. (1994) 6 एससीसी 589}।

14. निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता वर्ष 1994 में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद 6 वर्षों तक पेंशन आहरित कर रहा था। वर्ष 2000 में एक आपराधिक मामले में उसकी दोषसिद्धि के आधार पर अचानक पेंशन का भुगतान विधारित कर लिया गया। यह आदेश याचिकाकर्ता को बिना किसी सूचना के पारित किया गया था। आक्षेपित आदेश के विरुद्ध उसके अभ्यावेदनों पर भी विचार नहीं किया गया।

15. उपरोक्त परिस्थितियों में, अनुलग्नक-पी/1 का आक्षेपित आदेश दिनांक 22-5-2000 कायम नहीं रखा जा सकता और तदनुसार उसे अपास्त किया जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता देय तिथि से 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित अग्रिम पेंशन के बकाया प्राप्त करने का हकदार है।

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Bhumesh Bharti